# संचालनालय कोष एवं लेखा
## मध्यप्रदेश

क्र0 / डीटीए / C-SFMS / 2016 / 184, भोपाल,दिनांक– 01 / 10 / 2016

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
म0प्र0।

विषय :– कोषालय देयक एवं उनका लेखांकन पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– म0प्र0 शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 1133 / 825 / 2016 / नियम / चार, भोपाल दिनांक 24.08.2016.

––0––

विषयांतर्गत भौतिक देयकों को कोषालय भेजने की अनिवार्यता समाप्त करने के प्रथम चरण में ऐसे देयक जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होते हैं माह सितम्बर 2016 के उपरांत अर्थात् 01.10.2016 से कोषालय में प्रेषित नहीं किये जायेगे। इस प्रक्रिया को लागू करने में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि देयक के साथ संलग्न की गई स्वीकृतियॉ और राशि रू 20,000/– से अधिक के उपप्रमाणक (Invoice) महालेखाकार कार्यालय को किस प्रकार प्रेषित किये जायेंगे?

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि महालेखाकार को प्रेषित की जाने वाली व्यय की स्वीकृतियॉ देयक के साथ न लगाई जाकर म.प्र. कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 310 एवं 311 के अनुसार सीधे महालेखाकार को भेजी जायेगी। म.प्र. कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 310 के अनुसार आकस्मिक देयकों के साथ रू0 20,000/– से अधिक की उपप्रमाणक (Invoice) संलग्न की जाती है। अतः जब तक Invoice की स्केन/इलेक्ट्रानिक प्रति भेजने की सुविधा नहीं हो जाती तब तक रू0 20,000/– से अधिक के उपप्रमाणकों से संबंधित आकस्मिकता देयकों की भौतिक प्रतियॉ यथावत कोषालयों को प्रेषित की जायेंगी।

परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि देयकों की कार्यालय प्रति अनिवार्यतः प्रिंट की जाकर एवं हस्ताक्षरित की जाकर कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार निरीक्षण/अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से अक्टूबर माह में देयकों की मूल प्रतियॉ भी तैयार कर हस्ताक्षरित कर कार्यालय में सुरक्षित रखें एवं कोषालय अधिकारी द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध करायी जाए।

कृपया उपर्युक्त अनुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।

आयुक्त,
कोष एवं लेखा

पृ0क्र0 / डीटीए / C-SFMS / 2016 / 185, भोपाल,दिनांक– 01/10/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ग्वालियर।
2. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, ग्वालियर।
4. महालेखाकार ऑडिट, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम ,स्टेट आई.टी सेन्टर, 47–ए अरेरा हिल्स, भोपाल, की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म0प्र0 की ओर प्रेषित।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 10.10.2016 तक महालेखाकार कार्यालय को SWAN / VPNoBB कनेक्टिविटी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें एवं उक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करें।

आयुक्त,

कोष एवं लेखा